NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/114/2026 दिनांक – 22.08.2026

सेवा में,

1. **श्रीमान मुख्य सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
   ईमेल – abardhan@ias.nic.in
2. **श्रीमान सचिव, धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग**
   उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
   ईमेल – yugal.pant@nic.in
3. **श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, गढी कैन्ट, देहरादून
   ईमेल – garbyal.dhiraj@ias.nic.in ; touristcare.uttarakhand@gmail.com
4. **श्रीमान मुख्य कार्याधिकारी,**
   श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति, उत्तराखण्ड
   ईमेल – ceo.bktcddn@gmail.com

विषय : श्री बद्रीनाथ धाम में दानराशि की चोरी के प्रकरण से उजागर व्यवस्थागत कमियों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड के समस्त चारधामों श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री में दान/चढ़ावे की प्राप्ति, गणना, अभिरक्षा एवं लेखांकन हेतु एकसमान एस0ओ0पी0 तैयार करने, विशेष फॉरेंसिक ऑडिट कराने तथा स्वतंत्र निगरानी/पर्यवेक्षण व्यवस्था स्थापित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट एक लोकहितकारी संस्थान है, जो संवैधानिक मूल्यों, प्रशासनिक पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाबदेही, सुशासन एवं जनहित से जुड़े विषयों पर कार्य करती है। हाल में श्री बद्रीनाथ धाम के दान गणना कक्ष से दानराशि की कथित चोरी के मामले में मंदिर समिति से जुड़े कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मी की गिरफ्तारी ने धार्मिक दान

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

की सुरक्षा, गणना, लेखांकन एवं आंतरिक पर्यवेक्षण से संबंधित गंभीर व्यवस्थागत प्रश्न उत्पन्न किए हैं। चूंकि संबंधित व्यक्तियों की आपराधिक भूमिका की जांच पुलिस/विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही है, इसलिए संस्था का उद्देश्य आपराधिक विवेचना में हस्तक्षेप अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करना नहीं है। वर्तमान पत्र का उद्देश्य घटना के मूल में विद्यमान प्रशासनिक एवं संस्थागत कमजोरियों को दूर कर समस्त चारधामों के लिए दीर्घकालिक, पारदर्शी एवं स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित कराना है।

श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम देवभूमि उत्तराखण्ड एवं देश–विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। श्रद्धालुओं द्वारा इन धामों में अर्पित नकद राशि, सोना–चांदी एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं धार्मिक विश्वास से समर्पित की जाती हैं और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा, सही गणना तथा पूर्ण एवं सत्यापनीय लेखांकन संबंधित प्रशासन/मंदिर प्रबंधन की न्यासी जिम्मेदारी है। बद्रीनाथ धाम की घटना यह आवश्यक बनाती है कि विषय को किसी एक कर्मचारी अथवा एक मंदिर की घटना मानकर सीमित न किया जाए, बल्कि चारों धामों में प्रचलित व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाए। विशेष रूप से यह परीक्षण आवश्यक है कि दानपात्र खोलने से लेकर गणना, अभिलेखीकरण, बहुमूल्य वस्तुओं की अभिरक्षा तथा नकद राशि के बैंक में जमा होने तक प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त नियंत्रण, सी0सी0टी0वी0 निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध हैं अथवा नहीं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत संस्थान आपसे व्यापक जनहित में निम्नलिखित कार्रवाई किये जाने का अनुरोध करता है :–

a) **चारधामों के लिए एकसमान एवं बाध्यकारी एस0ओ0पी0** – उत्तराखण्ड शासन द्वारा श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम में दान/चढ़ावे की प्राप्ति से लेकर अंतिम लेखांकन एवं बैंक में जमा/सुरक्षित अभिरक्षा तक की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत, एकसमान एवं बाध्यकारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) तैयार एवं अधिसूचित की जाए। इसमें दानपात्र खोलने की प्रक्रिया, अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति, दान गणना कक्ष में नियंत्रित प्रवेश, बिना जेब वाले निर्धारित वस्त्र, प्रवेश एवं निकास पर तलाशी, कर्मचारियों का नियमित रोटेशन, दोहरा सत्यापन, नकदी एवं बहुमूल्य वस्तुओं की वीडियोग्राफी/डिजिटल प्रविष्टि, सीलबंद हस्तांतरण, बैंक में जमा करने की समयसीमा तथा प्रत्येक चरण पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

b) **विशेष फॉरेंसिक ऑडिट** – चारों धामों में प्राप्त दानराशि, सोना–चांदी एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के संबंध में गत पाँच वित्तीय वर्षों के खातों, दान रजिस्टरों, बैंक जमा विवरणों, स्टॉक/भंडार अभिलेखों, रसीदों,

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

डिजिटल रिकॉर्ड तथा संबंधित वित्तीय दस्तावेजों का विशेष फॉरेंसिक ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा किसी अन्य सक्षम एवं पूर्णतः स्वतंत्र सरकारी/विशेषज्ञ लेखा संस्था से कराया जाए। ऑडिट में दान की वास्तविक प्राप्ति से उसके अंतिम लेखांकन एवं बैंक/भंडार में पहुंचने तक की पूरी श्रृंखला का मिलान किया जाए तथा किसी विसंगति, अभिलेखीय अंतर अथवा वित्तीय अनियमितता की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

c) **स्वतंत्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण** – चारों धामों में दान गणना एवं वित्तीय प्रबंधन की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए राज्य/मंदिर प्रबंधन के नियमित प्रशासन से पृथक एक स्वतंत्र निगरानी अथवा पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें उपयुक्त रूप से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वित्त/लेखा विशेषज्ञ एवं स्वतंत्र प्रशासनिक विशेषज्ञ सम्मिलित किए जा सकें। यह व्यवस्था निर्धारित अंतराल पर दान गणना प्रक्रिया, वित्तीय अभिलेख, एसओपी अनुपालन एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करे तथा अपनी अनुपालन रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे आंतरिक कर्मचारियों पर ही आधारित पर्यवेक्षण के स्थान पर वास्तविक स्वतंत्र संस्थागत नियंत्रण स्थापित हो।

d) **सीसीटीवी, डिजिटल ट्रेल एवं पारदर्शिता** – चारों धामों के दान गणना कक्ष, दानपात्र खोलने के स्थान, नकदी/बहुमूल्य वस्तुओं के हस्तांतरण मार्ग एवं भंडारण क्षेत्रों में बिना किसी अंधे क्षेत्र के शत–प्रतिशत सीसीटीवी कवरेज, छेड़छाड़–रोधी रिकॉर्डिंग, पर्याप्त अवधि तक सुरक्षित बैकअप तथा नियमित तकनीकी ऑडिट अनिवार्य किया जाए। प्रत्येक दान गणना की दिनांक, गणना में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों, कुल प्राप्त राशि/बहुमूल्य वस्तुओं तथा बैंक में जमा/भंडारण की पुष्टि का सत्यापनीय डिजिटल ट्रेल बनाया जाए और सुरक्षा एवं गोपनीयता को प्रभावित किए बिना समेकित वित्तीय एवं ऑडिट संबंधी जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए।

e) **समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुपालन** – उपर्युक्त एस0ओ0पी0 निर्माण, विशेष फॉरेंसिक ऑडिट तथा स्वतंत्र निगरानी/पर्यवेक्षण व्यवस्था के लिए शासन स्तर पर निश्चित समयसीमा एवं उत्तरदायी प्राधिकारी निर्धारित करते हुए समेकित कार्ययोजना जारी की जाए और उसके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाए। श्री बद्रीनाथ धाम की घटना

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

को केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित न मानते हुए इसे चारधामों की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करने का आधार बनाया जाए, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा आस्था से अर्पित प्रत्येक दान की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो तथा भविष्य में चोरी, गबन अथवा वित्तीय अनियमितता की संभावना को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

यह विषय केवल धनराशि की सुरक्षा का नहीं, बल्कि देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था एवं सार्वजनिक विश्वास की संस्थागत सुरक्षा का विषय है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त पांच बिंदुओं पर समयबद्ध एवं कारणयुक्त निर्णय लेते हुए की गई कार्रवाई से इस संस्थान को भी अवगत कराया जाए।

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

संलग्नक :–

1– संबंधित मीडिया रिपोर्ट की प्रति।